2015

प्रक्रिया संहिता
CODE OF PROCEDURE

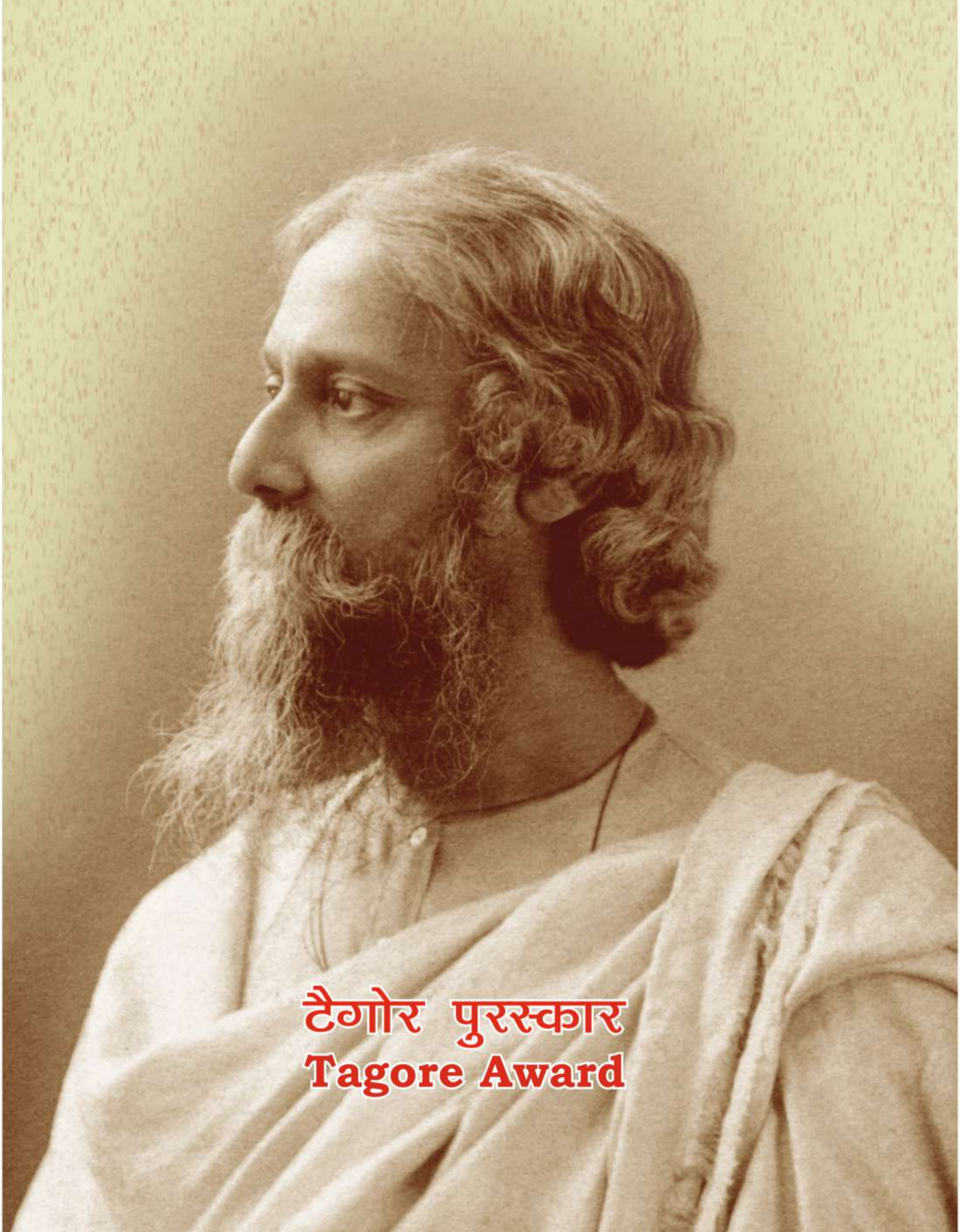

टैगोर पुरस्कार
Tagore Award

प्रक्रिया संबंधी संहिता

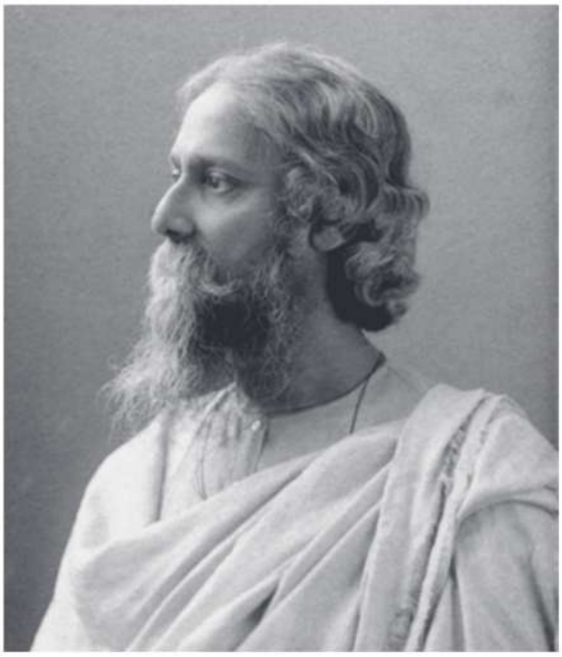

सांस्कृतिक सद्भाव
हेतु
टैगोर पुरस्कार

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

Amended Para-2 of Chapter 7 vide
order no. 16/1/2010-GHSM (Pt-2)
dated 6th May 2015

प्राक्कथन

गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रबीन्द्रनाथ टैगोर (7 मई, 1861 से 7 अगस्त, 1941) भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे। हालांकि टैगोर को साहित्यिक रचनाओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली लेकिन वे बहुप्रतिभा के भी धनी थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूपों में महत्वपूर्ण व अग्रणी योगदान दिया। रबीन्द्रनाथ टैगोर एक कवि, लेखक, दार्शनिक, संगीतकार, उत्कृष्ट दृश्य कलाकार व शिक्षाविद् थे। टैगोर नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे जो उन्हें 1913 में अपनी कविताओं के सग्रंह 'गीतांजलि' के लिए मिला। उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों व बहु संस्कृतिवाद, विविधता व सहिष्णुता पर आधारित नई विश्व संस्कृति के सृजन का संवर्धन किया। वर्ष 1921 में रबीन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्व विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने नोबल पुरस्कार से प्राप्त अपनी समूची धनराशि व अपनी पुस्तकों से रॉयल्टी के रूप में प्राप्त धनराशि को इस विश्वविद्यालय का दे दिया।

रबीन्द्रनाथ टैगोर के योगदान को सम्मानित करने व उनके जीवन व कृतियों में रुचि पैदा करने के लिए, भारत सरकार ने 7 मई, 2011 से गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाने का निर्णय किया है। इस स्मरणोत्सव के भाग के रूप में, भारत सरकार ने कला तथा संस्कृति और वैश्विक सद्भाव के मूल्यों के संवर्धन के लिए वर्ष 2012 से "सांस्कृतिक सद्भाव हेतु टैगोर पुरस्कार" शुरू किया है। प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार दिया जाएगा और इसमें पुरूस्कार स्वरूप 1.00 करोड़ रू. की राशि, स्क्रॉल में प्रशस्ति पत्र, पट्टिका व आकर्षक पारंपरिक हस्तशिल्प / हथकरघा वस्तु दी जाएगी।

अध्याय 1

पुरस्कार संबंधी विवरण

1. यह पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव के मूल्यों के संवर्धन के लिए दिया जाएगा।

2. प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार दिया जाएगा जिसमें पुरस्कार स्वरूप एक करोड़ रुपए की राशि (विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय), स्क्रॉल में एक प्रशस्ति-पत्र, पट्टिका व आकर्षक पारंपरिक हस्तशिल्प/हथकरघा वस्तु दी जाएगी।

3. पुरस्कार ऐसे दो व्यक्तियों/संस्थाओं में बाँटा जा सकता है जिन्हें जूरी विशिष्ट वर्ष में समान रूप से सम्मान प्राप्त करने का हकदार समझती है।

4. उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य पर पुरस्कार देने के लिए विचार नहीं किया जाएगा जिसका निधन हो गया है। लेकिन इस प्रक्रिया संहिता में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार जूरी को प्रस्ताव भेजे जाने के उपरान्त यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मरणोपरान्त पुरस्कार दिया जा सकता है।

अध्याय 2

पुरस्कार के लिए पात्रता

1. इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं, चाहे वे किसी भी राष्ट्र, प्रजाति, भाषा, जाति, धर्म अथवा लिंग से संबंध रखने वाले हों।

2. संघ, संस्था अथवा संगठन भी पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।

3. पुरस्कार प्राप्त करने हेतु विचारार्थ पात्र होने के लिए सामान्यतः यह अनिवार्य होगा कि उस व्यक्ति की संस्तुति इस संहिता के अध्याय 4 के अनुसार इसके लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में की गई हो।

4. पुरस्कार के लिए व्यक्तिगत रूप से भेजे गए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अध्याय 3

पुरस्कार की अवधि

1. पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। इसे वर्ष 2012 से प्रारंभ किया जाएगा तथा इसके पश्चात् यह प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा।

2. तथापि, यदि यह समझा जाए कि दिए गए प्रस्तावों में से कोई भी प्रस्ताव सम्मान के योग्य नहीं है तो जूरी उस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान न किए जाने के लिए स्वतंत्र होगी।

3. पुरस्कार के लिए केवल हाल के कार्य पर विचार किया जाएगा, जो नामांकन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के अन्दर सम्पन्न किया गया हो।

4. पूर्ववर्ती खंड के बावजूद, इस अवधि से पहले के कार्य पर भी विचार किया जा सकता है यदि उस कार्य की महत्ता हाल ही में प्रकाश में आयी हो।

अध्याय 4

प्रस्ताव भेजने की सक्षमता

1. पुरस्कार के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए निम्नलिखित को सक्षम माना जाएगा –

   (क) पिछले पाँच वर्षों के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता;

   (ख) केंद्रीय सरकार की मंत्री परिषद्;

   (ग) मंत्री परिषद को छोड़कर भारत के संसद सदस्य;

   (घ) महासचिव, संयुक्त राष्ट्र/राष्ट्रमंडल/राष्ट्रमंडल संसदीय संघ/अंतर-संसदीय संघ/ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन अथवा संस्थाएं जिनका उद्देश्य सांस्कृतिक सद्भाव का संवर्धन करना है;

   (ङ) विदेश स्थित भारतीय मिशन प्रमुख जो मुख्य संबद्ध संस्थानों तथा संबद्ध देश के विशेषज्ञों के समक्ष इसे ध्यान में लाते हैं अथवा परामर्श करते हैं;

   (च) लोक सभा/राज्य विधान सभाओं/विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी;

   (छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के राज्यपाल/मुख्यमंत्री;

   (ज) पिछले पाँच वर्षों के गांधी शांति पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार और इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राप्तकर्ता;

   (झ) पिछले पाँच वर्षों के भारत रत्न प्राप्तकर्ता;

(ञ) पिछले पाँच वर्षों के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता;

(ट) कोई अन्य व्यक्ति जिसे जूरी प्रस्ताव भेजने के लिए कहना चाहे।

(ठ) वे व्यक्ति, जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है।

2. साधारणतया, नामांकन के लिए आमंत्रित सक्षम व्यक्तियों से प्राप्त प्रस्तावों पर ही विचार किया जाएगा। तथापि, कोई भी प्रस्ताव मात्र इस आधार पर जूरी के विचारार्थ अवैध नहीं होगा कि वह खण्ड 1 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारियों से नहीं आया है। जूरी स्वप्रेरणा से भी किसी व्यक्ति एवं संस्था को नामित कर सकती है। इन सभी मामलों में जूरी का निर्णय अंतिम होगा।

3. विचारार्थ प्रस्तावों के साथ एक विस्तृत आलेख भेजा जाना चाहिए।

अध्याय 5

प्रस्ताव आंमत्रित करना व प्रस्ताव प्रस्तुत करना

1. प्रत्येक वर्ष सचिवालय पिछले वर्ष के पुरस्कार की घोषणा के पश्चात यानि कि जून माह में पत्र जारी करेगा।

2. विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों/विदेशों में भारतीय दूतावासों को निमंत्रण, विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजा जाएगा।

3. निर्णायक मंडल उन प्रस्तावों पर विचार करेगा जो भारत सरकार, संस्कृति मत्रांलय के कार्यालय में वर्ष के 31 अगस्त तक प्राप्त हो गए हों, जिनके लिए पुरस्कार दिया जाना है, बशर्ते कि अध्यक्ष का यह मत न हो कि ऐसी अवधि को सामान्यतया या प्रस्ताव विशेष के संदर्भ में बढ़ाया जाना चहिए।

4. सचिवालय, प्राप्त नामांकनों की जाँच करेगा और स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, मांगेगा और पुस्तिका रूप में प्रत्येक नामिती की रूपरेखा तैयार करेगा तथा जूरी की बैठक आयोजित करने के लिए इसे आगामी वर्ष की 31 जनवरी तक जूरी के अध्यक्ष को भेजेगा।

अध्याय 6

प्रस्तावों का मूल्यांकन

1. ऐसी किसी भी कृति को पुरस्कार के योग्य तभी समझा जाएगा जब जूरी के विचार से उसे विशेषतः विवाद या अतिविषम परिस्थितियों में अभिनव तरीकों/कार्यनीतियों के ज़रिए सद्भावना व सार्वभौमिकवाद तथा सांस्कृतिक सद्भाव के मूल्यों का सम्पोषण करने में उत्कृष्ट उपलब्धि का श्रेय प्राप्त हो।

2. यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने सांस्कृतिक सद्भाव के लिए निःस्वार्थभाव से कार्य किया हो चाहे वह उच्च लोक पद पर हो या न हो।

3. केवल वही लिखित कृति पुरस्कार के लिए पात्र होगी जो प्रकाशित हुई हो।

4. यदि लिखित व प्रकाशित कृति का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए जूरी यह अनिवार्य समझती है कि वह विषय-वस्तु से अवगत हो और यदि जूरी इस बात से संतुष्ट है कि विषय-वस्तु का अंग्रेजी अथवा हिंदी में अनुवाद करने का कार्य बहुत ही श्रम-साध्य और खर्चीले स्वरूप का है तो जूरी उस प्रस्ताव पर आगे और विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगी।

अध्याय 7

जूरी और चयन

1. पुरस्कार संबंधी अपेक्षित संवीक्षा और अंतिम चयन भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त की गई जूरी द्वारा किया जाएगा।

2. जूरी में पांच सदस्य होंगे अर्थात् भारत के प्रधान मंत्री जो जूरी के अध्यक्ष होंगे; भारत के मुख्य न्यायाधीश; लोक सभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता अथवा जहां विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है, तो उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता; और जूरी के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले दो अन्य प्रख्यात व्यक्ति।

3. जूरी के सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। तीन स्थायी पदेन सदस्यों को छोड़ कर चयनित सदस्य तीन वर्ष पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तथापि, सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

4. यदि जूरी का कोई सदस्य अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही सेवानिवृत्त होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके शेष कार्यकाल के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा।

5. जूरी केवल तभी अंतिम निर्णय लेने में सक्षम होगी जब

प्रधानमंत्री सहित उसके कम से कम तीन सदस्य बैठक में उपस्थित होंगे।

6. जूरी का निर्णय मतैक्य से होगा।

7. पुरस्कार से संबंधित जूरी की चर्चाओं, परिचर्चाओं अभिमतों और कार्यवाही को न तो सार्वजनिक तौर से बताया जाएगा और न ही उनका खुलासा किया जाएगा।

8. जहाँ तक संभव होगा जूरी अपने निर्णय की उद्घोषणा दिनांक 7 मई को रबीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर करेगी। जूरी के निर्णयों की पुष्टि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी और उनके विरुद्ध कोई अपील अथवा आपत्ति नहीं की जा सकती। इसकी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी।

अध्याय 8

पुरस्कार वितरण

1. पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा।

2. पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और यदि संभव हो, तो उससे उस कार्य से संबंधित एक सार्वजनिक व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए पुरस्कार दिया गया है।

3. प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त स्क्राल में प्रशस्ति पत्र, पट्टिका व आकर्षक पारंपरिक हस्तशिल्प/हथकरघा वस्तु भी प्रदान की जाएगी।

4. पुरस्कार राशि का भुगतान संस्कृति मंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार समय व स्थान पर किया जाएगा।

5. यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता पुरस्कार लेने से इंकार करता है तो वह राशि तत्काल भारत सरकार को वापस कर दी जाएगी। लेकिन, यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता पुरस्कार स्वीकार करता है लेकिन 36 माह की अवधि के भीतर उस राशि को आहरित करने में विफल रहता है तो वह राशि भारत सरकार को वापस कर दी जाएगी।

6. बिना पुरस्कार प्राप्त किए पुरस्कार प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर उनके परिजन पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार होंगे।

अध्याय 9

सामान्य

1. जूरी का कोई भी सदस्य संहिता में संशोधन का प्रस्ताव करने में सक्षम होगा। अस्थाई तौर पर जूरी के सदस्य यह निर्णय लेंगे कि ऐसा परिवर्तन किया जाए अथवा नहीं, लेकिन ऐसे प्रस्तावित परिवर्तन को संहिता में तब तक समाविष्ट नहीं किया जाएगा जब तक भारत सरकार की सहमति प्राप्त नहीं कर ली जाती।

2. जूरी के पूर्व परामर्श से संहिता में परिवर्तन करने का अधिकार भारत सरकार को भी होगा।

3. पुरस्कार हेतु आवश्यक वित्तपोषण और तत्संबंधी सभी आकस्मिक व्ययों की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

4. पुरस्कार के लिए सचिवालय की व्यवस्था संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

CODE OF PROCEDURE

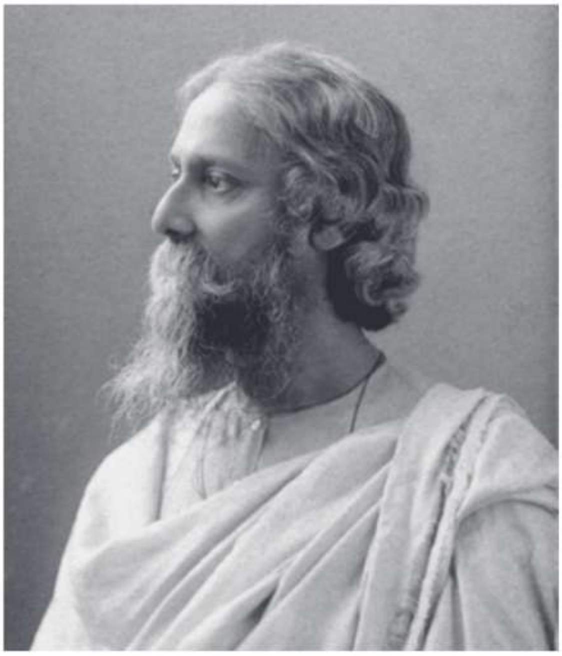

Tagore Award for Cultural Harmony

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Culture

FOREWORD

Rabindranath Tagore (7th May, 1861–7th August, 1941), popularly called as Gurudev, was an icon of Indian culture. Tagore though received worldwide acclaim for literary works, was also a multi-faceted genius who made important and pioneering contributions to different facets of Indian culture. He was a poet, an author, a philosopher, a composer, a superb visual artist and an educationist. Tagore became the first Asian to won the Nobel Prize for his collection of poems, Gitanjali, in 1913. He promoted spiritual values and the creation of a new world culture founded in multi-culturalism, diversity and tolerance. In 1921, Rabindranath Tagore established Viswabharati University. He gave all his money from the Nobel Prize and royalty money from his books to this University.

Recognising the contributions and to rekindle interest in the life and works of Gurudev, the Government of India have decided to commemorate the 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore commencing from 7th May, 2011. As part of celebration, the Government of India has instituted "Tagore Award for Cultural Harmony" from 2012 for promoting cultural harmony. There shall be one Award each year and it shall carry an amount of Rs. 1.00 crore, a Citation in a Scroll, a Plaque as well as an exquisite traditional handicraft/handloom item.

Chapter I

Description of the Award

---

1. The Award shall be given for promoting values of Cultural Harmony.

2. There shall be one Award each year and it shall carry an amount of Rupees One Crore (convertible to foreign currency), a Citation in a Scroll, a Plaque as well as an exquisite traditional handicraft/handloom item.

3. The Award may be divided between two persons/institutions who are considered by the Jury to be equally deserving of recognition in a given year.

4. Work by a person since deceased cannot be the subject of an Award. If, however, his death occurred subsequent to a proposal having been submitted to the Jury in the manner stipulated in this Code, then a Posthumous Award may be made.

Chapter II

Eligibility for Award

---

1. The Award is open to all persons regardless of nationality, race, language, caste, creed or sex.
2. An association, institution or organization shall also be eligible for the Award.
3. To come under consideration for the Award it would ordinarily be necessary that a person shall be recommended in writing by someone with the competence thereof in accordance with Chapter IV of this Code.
4. Personal applications for the Award shall not be considered.

Chapter III

Period of Award

1. The Award shall be made annually starting with the year 2012 and every year thereafter.
2. If, however, it is considered that none of the proposals that have been made merit recognition, the Jury will be free to withhold the Award for that year.
3. Only recent work achieved within ten years immediately preceding the nomination shall be considered for the Award.
4. The preceding section notwithstanding, older work may be considered if its significance has not become apparent until recently.

Chapter IV

Competence to make Proposals

1. Competence to make proposals for the Award shall be enjoyed by;

   I. Nobel Laureates for the last five years;

   ii. Council of Ministers of Central Government;

   iii. Member of Parliament of India except Council of Ministers ;

   iv. The Secretary-General, United Nations/ Commonwealth/Commonwealth Parliamentary Union/Inter-Parliamentary Union/ and other international organizations or institutions whose objectives are promotion of Cultural Harmony;

   v. Heads of Indian Missions abroad for bringing it to the notice of and for consulting major relevant institutions and experts of the country concerned;

   vi. Presiding Officers of Lok Sabha/State Assemblies/Councils;

   vii. Governors/Chief Ministers of the States/ UTs Administration;

   viii. Winners of Gandhi Peace Prize, Nehru Award and Indira Gandhi Prize for the last five years;

   ix. Bharat Ratnas for the last five years;

x. Jnanpith Awardees for the last five years;

xi. Any other person whom the Jury may wish to invite to make proposals for the Award.

xii. Persons who have received the Award.

2. Ordinarily, only proposals emanating from competent persons invited to nominate shall be considered. However, a proposal shall not be invalid for consideration by the Jury merely on the ground of not having emanated from competent persons mentioned in Section I. The Jury can also make a suo-moto nomination. In all such cases, the decision of the Jury shall be final.

3. Proposals to be considered should be accompanied by a detailed write-up.

Chapter V

Invitation and Submission of proposals

---

1. Every year the Secretariat shall issue letters after the award for the previous year has been announced, i.e. in the month of June.

2. The invitation to foreign dignitaries/Indian Missions abroad shall be sent through Ministry of External Affairs.

3. The Jury shall consider such proposals as have been received in the office of the Government of India, Ministry of Culture up to and including 31st August of the year for which the Award is to be given, unless the Chairperson is of the opinion that such time should be extended either in general or with reference to a particular proposal.

4. The Secretariat will check and examine the nominations received and seek clarifications, if any, and prepare the synopsis of each nominee in a booklet form and send it to the Chairperson of the Jury by 31st January of the following year for holding the meeting of the Jury.

Chapter VI

Evaluation of Proposals

1. No work shall merit an Award unless it is, in the opinion of the Jury, credited with outstanding achievement in fostering harmony and universalism and values of cultural harmony especially in conflict or extreme situations through innovative systems/strategies and which have an enduring and transformational impact.

2. The Award shall be made to a person who has worked selflessly for cultural harmony irrespective of whether he holds a high public office or not.

3. A written work, in order to be eligible for consideration of the Award, shall have been published.

4. If for the full assessment of a written and published work, the Jury considers it necessary to make itself acquainted with its contents and if the Jury is satisfied that the contents cannot be translated into English or Hindi without very considerable trouble and expense, then the Jury shall not be under obligation to give the proposal further consideration.

Chapter VII

Jury **& Selection**

---

1. The requisite scrutiny and final selection for the Award shall be made by a Jury to be appointed by the Government of India for this purpose.

2. The Jury shall comprise five members, i.e. the Prime Minister of India, who would chair the Jury; the Chief Justice of India; the Leader of Opposition recognized as such in the Lok Sabha or where there is no such Leader of Opposition then, the Leader of the single largest opposition party in that House; and two other eminent persons to be nominated by the Chairperson of the Jury.

3. Members of the Jury shall be appointed for a period of three years. After three years those chosen, other than the three permanent ex-officio members, shall retire. The retiring persons shall, however, be eligible for reappointment.

4. If a member of the Jury retires or dies before the expiry of his term in office, another shall be appointed in his place for the remaining period of that term.

5. The Jury shall not be competent to take a final decision unless at least three of its members are present including the Prime Minister.

6. The decision of the Jury shall be by consensus.

7. The discussions, deliberations, opinions and proceedings to the Jury in connection with the Award shall not be made public or otherwise revealed.

8. The Jury shall announce its decision, as far as possible, on birth anniversary of Rabindranath Tagore which is 7th May. Decisions of the Jury shall not be subject to confirmation by any other authority and no appeal or protest can be made against them. It will not be subject to an appeal in the Court of Law.

Chapter VIII

Presentation of Award

---

1. Presentation of the Award shall be made at New Delhi at a special ceremony by the President of India.

2. The awardee shall be invited to receive the Award in person and, if possible, to give a public lecture connected with the work for which the Award has been made.

3. In addition to the amount of the Award, a Citation in a Scroll, a Plaque as well as an Exquisite traditional handicraft/ handloom item will be presented to each Awardee.

4. The Ministry of Culture will make payment of the amount of the Award at the time and place requested by the Awardee.

5. Should an awardee decline an Award, then the amount will immediately revert to the Government of India. But if an awardee accepts the Award yet fails to draw the amount within the period of 36 months, then the amount shall revert to the Government of India.

6. In the event of death of an Awardee without receiving the Award, his next of kin shall be entitled for receiving the Award.

Chapter IX

General

---

1. It will be competent for any member of the Jury to propose an amendment in the Code. The members of the Jury for the time being shall decide whether such a change should be made or not but a change so proposed will not be incorporated in the Code until the consent of the Government of India is obtained.

2. The Government of India shall also have the right to make changes in the Code with prior consultation of the Jury.

3. The necessary finance for the Award and for all expenses incidental thereto shall be provided by the Government of India.

4. The Secretariat for the Award shall be provided by the Ministry of Culture.